कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक- 967 दिनांक- 16.05.2026 द्वारा श्री देवांग, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0 शुभई दक्षिण, हाजीपुर से तथ्य छुपाकर सरकारी राशि का गबन करने एवं विभागीय नियमों के विपरीत सक्षमता परीक्षा-1 हेतु आवेदन कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए जाने के संबंध में साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इस क्रम श्री देवांग द्वारा दिनांक- 18.05.2026 को अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री देवांग द्वारा तथ्य से परे एवं भ्रामक स्पष्टीकरण समर्पित कर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

अंकनीय है कि श्री देवांग की मूल नियुक्ति कार्यपालक पदाधिकारी, हाजीपुर के ज्ञापांक- 264 दिनांक- 05.02.2014 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर प्रखण्ड शिक्षक (अशिशिक्षित) के पद पर वर्ग 1-5 (प्राथमिक संवर्ग) में हुई थी। इसके बावजूद, इनके द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए सक्षमता परीक्षा-2024 (प्रथम) के आवेदन में स्वयं को कक्षा 6-8 (स्नातक ग्रेड - गणित एवं विज्ञान) का शिक्षक प्रदर्शित कर फर्जी प्रविष्टि की गई, जो कि सीधे तौर पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के निहित प्रावधान एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 के नियमों का उल्लंघन है। इस धोखाधड़ी के आधार पर इन्होंने दिनांक 07.01.2025 से अवैध रूप से उच्च पद का वेतन प्राप्त कर राजकीय कोष को क्षति पहुँचाई है।

उक्त के आलोक में श्री देवांग, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0 शुभई दक्षिण, प्रखण्ड-हाजीपुर, वैशाली को बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

श्री देवांग के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, महनार को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महनार निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

10.6.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-1205 हाजीपुर दिनांकः-10/06/26

प्रतिलिपिः-वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.6.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– श्री देवांग,
(ii). पद नाम– विशिष्ट शिक्षक
(iii). जन्म तिथि–
(iv). सेवानिवृति तिथि–
(v). सेवा संवर्ग का नाम– विशिष्ट शिक्षक
(vi). पद समूह एवं विभाग– विशिष्ट शिक्षक / शिक्षा विभाग
(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–
(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026 / उ0म0वि0 शुभई दक्षिण, प्रखण्ड– हाजीपुर, वैशाली।

10.6.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग द्वितीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). अपचारी शिक्षक द्वारा अपने मूल संवर्ग (वर्ग 1–5 प्राथमिक शिक्षक) के तथ्यों को छुपाकर, सक्षमता परीक्षा–2024 के आवेदन में स्वयं को वर्ग 6–8 (स्नातक संवर्ग) का शिक्षक दर्शाया गया। यह कृत्य बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–4 एवं सामान्य प्रशासनिक सदाचार के विरुद्ध गंभीर कदाचार है।

(ii). फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र (पत्रांक– VAI/ADV-PR 34/2024/ET(6-8)/9726999) प्राप्त कर दिनांक 07.01.2025 को अवैध रूप से स्नातक ग्रेड शिक्षक के रूप में योगदान दिया गया। यह बिहार सेवा संहिता के तहत सेवा संविदा और सरकारी सेवा के मूल सिद्धांतों के साथ धोखाधड़ी है। योगदान की तिथि से अब तक लगातार वर्ग 6–8 का उच्च वेतनमान प्राप्त कर राजकीय कोष को अवैध रूप से क्षति पहुँचाई गई, जो कि बिहार वित्तीय नियमावली (Bihar Financial Rules) तथा बिहार सेवा संहिता के तहत लोक धन के गबन की श्रेणी में आता है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, स्वेच्छाचारिता तथा प्रशासनिक अनुशासन के गंभीर उल्लंघन करना, सरकारी कर्मी के आचारण के विपरीत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना एव अपने कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता।

10.6.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). इस कार्यालय के पत्रांक– 967 दिनांक– 16.05.2026 द्वारा श्री देवांग, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0 शुभई दक्षिण, हाजीपुर से तथ्य छुपाकर सरकारी राशि का गबन करने एवं विभागीय नियमों के विपरीत सक्षमता परीक्षा–1 हेतु आवेदन कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए जाने के संबंध में साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इस क्रम श्री देवांग द्वारा दिनांक– 18.05.2026 को अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री देवांग द्वारा तथ्य से परे एवं भ्रामक स्पष्टीकरण समर्पित कर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii). श्री देवांग की मूल नियुक्ति कार्यपालक पदाधिकारी, हाजीपुर के ज्ञापांक– 264,दिनांक– 05.02.2014 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर प्रखण्ड शिक्षक (अशिशिक्षित) के पद पर वर्ग 1–5 (प्राथमिक संवर्ग) में हुई थी। इसके बावजूद, इनके द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए सक्षमता परीक्षा–2024 (प्रथम) के आवेदन में स्वयं को कक्षा 6–8 (स्नातक ग्रेड – गणित एवं विज्ञान) का शिक्षक प्रदर्शित कर फर्जी प्रविष्टि की गई, जो कि सीधे तौर पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के निहित प्रावधान एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 के नियमों का उल्लंघन है। इस धोखाधड़ी के आधार पर इन्होंने दिनांक 07.01.2025 से अवैध रूप से उच्च पद का वेतन प्राप्त कर राजकीय कोष को क्षति पहुँचाई है।

(iii). अपचारी शिक्षक द्वारा अपने मूल संवर्ग (वर्ग 1–5 प्राथमिक शिक्षक) के तथ्यों को छुपाकर, सक्षमता परीक्षा–2024 के आवेदन में स्वयं को वर्ग 6–8 (स्नातक संवर्ग) का शिक्षक दर्शाया गया। यह कृत्य बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–4 एवं सामान्य प्रशासनिक सदाचार के विरुद्ध गंभीर कदाचार है। फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र (पत्रांक– VAI/ADV-PR 34/2024/ET(6-8)/9726999) प्राप्त कर दिनांक 07.01.2025 को अवैध रूप से स्नातक ग्रेड शिक्षक के रूप में योगदान दिया गया। यह बिहार सेवा संहिता के तहत सेवा संविदा और सरकारी सेवा के मूल सिद्धांतों के साथ धोखाधड़ी है। योगदान की तिथि से अब तक लगातार वर्ग 6–8

का उच्च वेतनमान प्राप्त कर राजकीय कोष को अवैध रूप से क्षति पहुँचाई गई, जो कि बिहार वित्तीय नियमावली (Bihar Financial Rules) तथा बिहार सेवा संहिता के तहत लोक धन के गबन की श्रेणी में आता है।

(iv). सरकारी कर्मी के आचारण के विपरीत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना एव अपने कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता।

10.6.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

कमं स0	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1.	कार्यपालक पदाधिकारी, हाजीपुर के ज्ञापांक– 264,दिनांक– 05.02.2014, औपबंधिक नियुक्ति पत्र (पत्रांक– VAI/ADV-PR 34/2024/ET(6-8)/9726999), इस कार्यालय के पत्रांक– 967 दिनांक–16.05.2026 स्पष्टीकरण	3

10.6.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।